

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग  
विकास आयुक्त का कार्यालय  
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र  
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा-201305, जिला गौतम बुद्ध नगर.

**नौएडा वि शेष आर्थिक क्षेत्र**

महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड मल्टी-प्रोडक्ट एसईजेड, जयपुर (2023 सीरीज) की दूसरी अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त श्री ए बिपिन मेनन, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) की अध्यक्षता में 25-01-2023 सीतापुरा एसईजेड, जयपुर में हाइब्रिड मोड में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोपहर 12:00 बजे आयोजित किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

- i. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ)।
  - ii. किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ)।
  - iii. श्री पी.आर. शर्मा, संयुक्त निदेशक, उद्योग, राजस्थान, जयपुर।
  - iv. श्री अनिल लखेरा, उप प्रबंधक, रीको, जयपुर।
  - v. श्री मनोज कुमार शैली, सहायक आयुक्त, समिति, सीजीएसटी, जयपुर (राजस्थान)।
  - vi. श्री आर एल मीणा, सहायक डीजीएफटी (DGFT), जयपुर (राजस्थान)।
  - vii. श्री विमल मिश्रा, महाप्रबंधक, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड (एसईजेड (SEZ) विकासक के प्रतिनिधि)।
- इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री अमित गुप्ता, विशिष्ट अधिकारी (प्रभारी), महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, जयपुर; (ii) श्री एच.के. मीणा, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) और (iii) श्री सुनील गुल्यानी, आशुलिपिक ग्रेड II, एनएसईजेड (NSEZ) भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति पूरा हो गया है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
  - प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद कार्यसूची में शामिल मदों पर विचार-विमर्श किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

**मद नंबर 2: नई इकाई का आवेदन।**

**2.1 एलओए के विस्तार के लिए प्रस्ताव।**

**2.1.1 मैसर्स ट्रेडडिजाइन टेक्निकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड:-**

सुरेंद्र मलिक

समिति को सूचित किया गया कि:-

a. बहु-उत्पाद एसईजेड मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड गांव कलवाड़ा, झाई, भंभोरिया, बगरू खुर्द और नेवता, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर (राजस्थान), में 'साइकिलों का निर्माण और संयोजन' नामक सेवा गतिविधियों को स्थापित करने के लिए, मैसर्स ट्रेडसाइन टेक्निकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड को एलओए संख्या 10/40/2017-एसईजेड/13711 दिनांक 20.12.2017 प्रदान किया गया था। इकाई ने बांड-सह-कानूनी उपक्रम निष्पादित की थी जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इकाई ने एसईजेड (SEZ) से संचालन शुरू नहीं किया है। इकाई के एलओए (LOA) की वैधता को 19.12.2020 तक बढ़ा दिया गया था।

(b). मैसर्स ट्रेडसाइन टेक्निकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 17.09.2021 के तहत एलओए (LOA) को 19.12.2020 से आगे बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। अनुरोध की उचित जांच के बाद, निम्नलिखित टिप्पणियों के कारण इकाई को दिनांक 13.10.2021 का एक विसंगति पत्र जारी किया गया था: -

- i. एलओए (LOA) की समाप्ति के 2 महीने से पहले विस्तार के लिए आवेदन नहीं करने के वैध कारण प्रस्तुत करने के लिए।
- ii. एसईजेड (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम पर आवेदन करने के लिए और एलओए (LOA) के विस्तार के लिए विशिष्ट तिथि देते हुए इस कार्यालय में इसका प्रमाणित प्रिंटआउट जमा करना
- iii. इकाई की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो-तिहाई गतिविधियों के संबंध में अधिकार प्राप्त अभियंता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए पूरा हो गया है।

(c). इकाई ने इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त पत्र दिनांक 13.10.2021 का अभी तक अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

(d). अब, इस कार्यालय में दिनांक 13.01.2023 को प्राप्त पत्र दिनांक 12.01.2022 के पत्र द्वारा मैसर्स ट्रेड डिजाइन टेक्निकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने सूचित किया है कि उन्होंने अनुरोध आईडी 192100000153 के साथ एलओए (LOA) के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। यह भी सूचित किया है कि महामारी के बाद बाजार परिदृश्य में बदलाव और उनके उत्पाद की मांग में बदलाव के कारण उन्हें निम्नलिखित कारणों से अपनी परियोजना में देरी करनी पड़ी:-

- i. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपनी की गैर-मौजूदगी के कारण उनके खरीदार पीछे हट गए।
- ii. यदि वे अधिक प्रश्न उठाना चाहते हैं तो अंतरराष्ट्रीय यात्रा बंद कर दी गई।
- iii. कुल मिलाकर गतिशीलता बदल दी गई थी, खरीदारों के लिए उनके अपने देशों में स्थानीयकरण को प्राथमिकता दी गई थी।

2.1.2 एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के नियम 19(4) को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"अनुमोदन पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा, ऐसी अवधि के भीतर इकाई उत्पादन या सेवा या व्यापार या मुक्त व्यापार और भंडारण गतिविधि शुरू करेगी और इकाई विकास आयुक्त को उत्पादन या गतिविधि शुरू करने की तारीख की सूचना देगी; बशर्ते कि उद्यमी द्वारा अनुरोध किए जाने पर, विकास आयुक्त द्वारा दो साल से अधिक की अवधि के लिए लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले वैध कारणों के लिए और विस्तार दिया जा सकता है; बशर्ते कि

सुरेंद्र प्रतियेक

विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन एक वर्ष का और विस्तार दे सकता है कि इकाई की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित गतिविधियों का दो-तिहाई पूरा हो गया है और इस आशय का एक अधिकार प्राप्त अभियंता का प्रमाण पत्र उद्यमी द्वारा प्रस्तुत किया गया है; बशर्ते यह भी कि अनुमोदन बोर्ड, उद्यमी के लिखित अनुरोध पर और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं, आगे की अवधि के लिए विस्तार प्रदान कर सकता है।


2.1.3 मौजूदा मामले में, नियम 19(4) के पहले प्रावधान के अनुसार, इकाई को दो साल के लिए, यानी 19.12.2020 तक, एलओए (LOA) का विस्तार दिया गया है। नियम 19(4) के दूसरे प्रावधान के संदर्भ में विस्तार प्रदान किया गया होता तो वह भी 18.12.2021 को समाप्त हो जाता (यदि परियोजना का दो तिहाई कार्यान्वित किया गया था क्योंकि इकाई ने इस अधिकारी के पत्र दिनांक 13.10.2021 के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था)। अब, एक वर्ष से थोड़ा अधिक समय के अंतराल के बाद 13.01.2023 को इकाई विस्तार के लिए उपस्थित हुई है।

2.1.4 श्री विवेक वशिष्ठ, निदेशक ने इकाई से बैठक में भाग लिया। उन्होंने अपने पत्रों में उल्लिखित तथ्यों और आंकड़ों को दोहराया और सूचित किया कि उनके पास फरीदाबाद में इसी नाम और स्वामित्व के साथ डीटीए (DTA) में एक और इकाई है और वर्तमान में वे क्षेत्र में संबंधित तकनीकी सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं। समिति ने फरीदाबाद में इकाई के कारखाने का दौरा करने का निर्णय लिया।


2.1.5 समिति ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और सर्वसम्मति से निम्नलिखित दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद एसईजेड (SEZ) नियमावली, 2006 के नियम 19(4) के तीसरे प्रावधान के संदर्भ में प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड को विचार के लिए अग्रेषित करने का निर्णय लिया: -

- i. इसकी समाप्ति के 2 महीने से पहले एलओए (LOA) एक्सटेंशन के लिए आवेदन नहीं करने के कारण।
- ii. एलओए (LOA) की विस्तारित वैधता के भीतर परियोजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण।
- iii. इकाई की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो-तिहाई गतिविधियों के संबंध में एक अधिकार प्राप्त अभियंता का प्रमाण पत्र पूरा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

  
(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

  
(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त